3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 में 27 कार्यालयों में से 15 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2011 प्रकरणों में राशि ₹ 280.03 करोड़ के आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण/शास्ति और अन्य अनियमितताएं शामिल थी जो **तालिका 3.1** में वर्णित हैः

तालिका - 3.1

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**''आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	263.58
2.	आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	43	12.20
3.	भाण्डागारों मे स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	3	3.15
4.	अन्य अनियमितताएं	1,964	1.10
योग		**2,011**	**280.03**

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 100 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 7.24 करोड़ के आबकारी शुल्क के अनारोपण/कम अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं इत्यादि को स्वीकार किया।

"आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 263.58 करोड़ सन्निहित है निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

3.2 आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्यांश

- आसवनी/बाटलिंग ईकाई और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (सी.एस.बी.सी.एल) के मध्य लेन-देन तथा साथ में सी.एस.बी.सी.एल और खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य लेन-देन के पुनः सत्यापन हेतु तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क राशि ₹ 2.96 करोड़ की कम प्राप्त हुई।

(कंडिका 3.2.9)

- न्यूनतम निर्धारित मात्रा से अधिक विक्रय की गई मदिरा पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ग्राहकों से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस को जमा कराने हेतु विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाए जाने से ₹ 178.41 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.2.10)

- रसायनिक परीक्षण से संबंधित देशी मदिरा नियम के नियमों का पालन नहीं किए जाने से मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त देशी मदिरा का जारी किया जाना।

(कंडिका 3.2.11.2)

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु बंध पत्र का पंजीयन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली ₹ 40.32 लाख।

(कंडिका 3.2.13)

- आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा की औसत डयूटी का कम निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 79.35 करोड़ की डयूटी और लायसेंस फीस का कम प्राप्त होना।

(कंडिका 3.2.14)

- बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन नहीं होने से प्रक्रिया शुल्क की कम प्राप्ति ₹ 71.16 लाख।

(कंडिका 3.2.15)

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात की सत्यापन प्रतिवेदन की विलंबित/नहीं प्राप्ति होने से शुल्क की अवसूली ₹ 98.58 लाख।

(कंडिका 3.2.16)

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मिनियेचर बोतल का निराकरण नहीं किए जाने से शुल्क ₹ 63.79 लाख की अवसूली।

(कंडिका 3.2.18)

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य आबकारी से प्राप्त राजस्व में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा आदेशित शुल्क, फीस अथवा राजसात के द्वारा होने वाली आय समाहित होती है। इसमें मदिरा के निर्माण, धारण तथा विक्रय, भांग तथा पोस्ता शीर्ष द्वारा होने वाली आय भी सम्मिलित है। विभाग मदिरा दुकानों को संधारित करता है तथा निजी अनुज्ञप्तिधारियों को इन दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा, भांग तथा पोस्ता विक्रय करने की अनुमति देता है। मदिरा के निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

3.2.2 विभागीय संरचना

सचिव सह आबकरी आयुक्त आबकारी विभाग के प्रमुख है। आबकारी नीतियों के पालन एवं बनाने हेतु वे उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर उनकी सहायता दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और एक सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। विभाग के अन्तर्गत तीन संभाग है, जिसके प्रमुख उपायुक्त है, जो संभाग अन्तर्गत जिला कार्यालयों, आसवनियों और बाटलिंग ईकाईयों का पर्यवेक्षण करते है। 27 जिलों में जिले के जिलाधीश आबकारी प्रशासन के प्रमुख है और उनकी सहायता के लिए जिला कार्यालयों/आसवनियों में सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ होते है।

छत्तीसगढ़ में तीन आसवनी, नौ बाटलिंग संयंत्र और विदेशी मदिरा के विशेषाधिकार वाले पांच बाटलिंग संयंत्र है। आसवनी और भण्डारागार शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी व्यक्तियों द्वारा धारित की जाती है। राज्य के अन्तर्गत 26 भण्डागार है। आसवनी/बाटलिंग संयंत्र/भण्डागार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक द्वारा की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड की भूमिका

शासन ने निर्णय (नवम्बर 2001) लिया कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा का थोक आपूर्ति सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जावेगा। सी.एस.बी.सी.एल. भारत निर्मित विदेशी मदिरा के क्रय/प्रदाय और भण्डागारों में भण्डार रखने पूर्ण रूप से अधिकृत है। एक खुदरा विक्रेता चाही गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा का शुल्क भुगतान करने के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी से परिवहन पास प्राप्त करने के पश्चात सी.एस.बी.सी.एल. खुदरा विक्रेता को भारत निर्मित विदेशी मदिरा प्रदाय करता है।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा इस दृष्टि से की गई थी किः

- क्या विभाग में आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण एवं वसूली और शासकीय खजाने में जमा हेतु पर्याप्त एवं सक्षम प्रक्रिया विद्यमान है;

- क्या आबकारी नीतियों के उपबंध प्रभावकारी रूप से लागू है और राजस्व रिसन रोकने में पर्याप्त है; और
- क्या आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विभाग में विद्यमान है और वे पर्याप्त एवं प्रभावकारी है।

3.2.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

नीचे दर्शाये गए अधिनियमों और नियमों का उपयोग लेखापरीक्षा के मापदण्ड हेतु किया गया है:

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996;
- छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995; और
- आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश।

3.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और प्रक्रिया

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (छत्तीसगढ़ शासन) के कंडिका 3.2 में ''आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण'' पर समीक्षा की गई थी जिसमें मुख्यतः विभागीय प्रयोगशाला का स्थापित न किया जाना सीलबंद बोतली में मदिरा परिवहन अधिक मार्ग हानि इत्यादि का उल्लेख किया गया था।

वर्तमान में हमने 2009-10 से 2013-14 के अभिलेखों की नमूना जांच कर **''आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पन्न की। कार्यालय आबकारी आयुक्त, 27 में से 11[1] जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी, 14 में 6[2] बाटलिंग ईकाई तीन में से दो[3] आसवनियों का चयन का ध्यान सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया यह मूल्यांकन करने के लिए कि आबकारी राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उल्लेखित प्रक्रियाएं तंत्र में दक्ष एवं प्रभावी रूप से विभाग में कार्य कर रही है। लेखापरीक्षा मार्च 2014 से जून 2014 के मध्य सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा के दौरान

---

1 अंबिकापुर, बिलासपुर, बस्तर, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुन्द, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव

2 मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि., मेसर्स क्राउन डिस्टलरीज प्रा.लि., मेसर्स गोल्डन प्रिंस वाइन इंडिया प्रा.लि., मेसर्स लीजेन्ड डिस्टलरीज प्रा.लि., मेसर्स रायपुर बाटलिंग कम्पनी और मेसर्स सर्वेश्वरी बाटलिंग और बेवरेजेस प्रा.लि.।

3 मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि. और मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.।

कई प्रणाली/अनुपालन कमियाँ पाई गई जो अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है। राज्य आबकारी विभाग के सचिव सह आयुक्त के साथ अन्तर्गमन सम्मेलन 2 मई 2014 को सम्पन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा उद्देश्य की चर्चा की गई। शासन एवं विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन 24 जुलाई 2014 को प्रेषित की गई। बर्हिगमन सम्मेलन 22 अगस्त 2014 को सम्पन्न की गई जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। शासन की ओर से आयुक्त सह सचिव राज्य आबकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान प्राप्त उत्तर और अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक रूप से संबंधित कंडिकाओं में जोड़ा गया है।

3.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारियों एवं अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु राज्य आबकारी विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

3.2.7 राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्य आबकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों का विवरण नीचे दिए गए तालिका में दिया गया है:

तालिका - 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल प्राप्तियों के साथ प्रतिशत
2009-10	1,158.00	1,187.72	29.72	2.57	7,123.25	16.67
2010-11	1,390.00	1,506.44	116.44	8.38	9,005.14	16.73
2011-12	1,550.00	1,596.98	46.98	3.03	10,712.25	14.91
2012-13	2,200.00	2,485.68	285.68	12.99	13,034.21	19.07
2013-14	2,675.00	2,549.15	(-) 125.85	(-) 4.70	14,342.71	17.77

(स्रोतःछत्तीसगढ़ शासन वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-10 से 2012-13 के दौरान कुल प्राप्तियों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियां का प्रतिशत 16.67 से 19.07 प्रतिशत बढ़ गया। जबकि, 2013-14 के दौरान प्राप्तियां 17.77 प्रतिशत घट गई। विभाग ने सूचित किया कि राजस्व में कमी का कारण पिछले साल के मुकाबले मदिरा दुकानों के आवंटन में आवेदन पत्रों की संख्या कम प्राप्त हुई है।

3.2.8 बकाया राजस्व का विश्लेषण

अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका -3.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान वसूली	बकाया का अंतिम शेष
2009-10	23.26	2.42	0.08	25.60
2010-11	25.60	0.37	0.67	25.30
2011-12	25.30	0.04	0.46	24.88
2012-13	24.88	6.57	0.41	31.04
2013-14	31.04	0.00	0.59	30.45

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय आंकड़े अनुसार)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि पुराने बकाया वसूली हेतु आवश्यक प्रयास नहीं किए गए। पांच वर्षो के दौरान बकाया राशि ₹ 23 करोड़ से ₹ 31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 8 लाख से ₹ 67 लाख की वसूली की गई। समय पर बकाया की वसूली हेतु शासन आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

दुकानों का व्यवस्थापन

15 मार्च 2002 से छत्तीसगढ़ शासन ने ''छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यस्थापन नियम 2002'' बनाए है। जब कोई नई अनुज्ञप्ति किसी स्थानीय क्षेत्र में जारी की जानी होती है तब अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिलाधीश) दैनिक सामाचार पत्र के माध्यम से उस क्षेत्र में विज्ञप्ति जारी करता है। अगर एक दुकान/समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, तब जिलाधीश, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साफ्टवेयर के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन का चयन करता है। 2009-10 से 2013-14 के लिए शासन द्वारा व्यवस्थापित भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा के दुकानों/समूहों का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका -3.4

वर्ष	स्वीकृत दुकानों की संख्या	व्यवस्थापित दुकानों की संख्या	अव्यवस्थापित दुकानों की संख्या	अव्यवस्थापित दुकानों का प्रतिशत
2009-10	1074	1074	निरंक	निरंक
2010-11	1054	1054	निरंक	निरंक
2011-12	815	815	निरंक	निरंक
2012-13	731	727	4	0.01
2013-14	719	719	निरंक	निरंक

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि विभाग ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दुकानों के व्यवस्थापन के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रणाली की कमियाँ

छत्तीसगढ़ शासन ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खरीदी एवं भण्डारण के लिए सी.एस.बी.सी.एल. को एकमात्र एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया है। खुदरा विक्रेता वांछित भारत निर्मित विदेशी मदिरा का शुल्क जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी का भुगतान करने के पश्चात् मदिरा का उठान करते है।

समय समय पर जारी किए गए आबकारी नीतियों के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की गणना पिछले वर्ष दुकान के प्रथम छः माह के मदिरा के वास्तविक मांग और खपत के आधार पर की जाती है।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी वार्षिक आबकारी नीति वर्णित करता है कि 2011-12 तक राज्य के भीतर देशी/विदेशी मदिरा से प्राप्त होने वाला राजस्व दो भागों में होगा जैसे 60 प्रतिशत लायसेंस फीस और 40 प्रतिशत शुल्क। आगे, 2012-13 के पश्चात यह संशोधित कर क्रमशः 65 प्रतिशत और 35 प्रतिशत किया गया।

अनेक प्रणाली कमियाँ जो लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैः

3.2.9 आकड़ों के पुनः सत्यापन में पाई गई कमियाँ

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 (झ) और (ञ) के अनुसार एफ.एल.9/एफ.एल.9 ए अनुज्ञप्तिधारी (विदेशी मदिरा भरने हेतु अनुज्ञप्ति जिसमें मदिरा विनिर्माण और विदेशी मदिरा की बोतल में भराई की जाती है) एफ.एल.10 (एक विदेशी मदिरा का भण्डारण और वितरण हेतु अनुज्ञप्ति) को मदिरा विक्रय अथवा स्थानान्तरण करते है। छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी सी.एस.बी.सी.एल है। आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा 2011-12 में 2012-13 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर औसत शुल्क ₹ 71.50 प्रतिशत प्रू.ली. तथा 2013-14 में ₹ 90/- प्रति प्रू.ली. निर्धारित किया गया।

हमने एफ.एल.9/एफ.एल.9ए तथा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारियों के विदेशी मदिरा के प्राप्ति एवं प्रेषण की जानकारी एकत्र की। सत्यापन के दौरान हमने एल.एल.-10 में विदेशी मदिरा के प्राप्ति में कमी और अधिकता पाई जो कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैः

3.2.9.1 आसवनी/बाटलिंग इकाई से सी.एस.बी.सी.एल. तक विदेशी मदिरा के प्रेषण/प्राप्ति के सत्यापन हेतु तंत्र का अभाव

एफ.एल. 9/9ए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 1.62 करोड़ प्रू.ली. विदेशी मदिरा सी.एस.बी.सी.एल को प्रेषित की गई। लेकिन सी.एस.बी.सी.एल. ने सूचित किया कि ₹ 1.58 करोड़ प्रू.ली. विदेशी मदिरा प्राप्त हुई थी। यह दर्शाता है कि सी.एस.बी.सी.एल. को ₹ 3.86 लाख प्रू.ली. विदेशी मदिरा

कम प्राप्त हुई। न ही सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लेन-देन का सत्यापन कराया गया ना ही आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा के प्रेषण/प्राप्ति के पुनः सत्यापन के निर्देश दिए गए। अतः लेन-देन पर निगरानी तंत्र के अभाव में, विभाग अनियमितताओं को नहीं खोज पायी जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.81 करोड़ के शुल्क की अवसूली हुई (***परिशिष्ट 3.1***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि आसवनी/बाटलिंग ईकाई से प्रेषणें का मिलान सी.एस.बी.सी.एल. के अभिलेखों से किया जावेगा और लेखापरीक्षा को सूचित की जावेगी। आगे, एक तंत्र स्थापित किया जावेगा जिससे लेन-देन का सामयिक निगरानी की जावेगी।

3.2.9.2 सी.एस.बी.सी.एल. और खुदरा विक्रेता के मध्य लेन-देन का सत्यापन नहीं किए जाने के कारण शुल्क की कम वसूली

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/वेदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 14 के अनुसार विदेशी मदिरा का खुदरा अनुज्ञप्तिधारी संबंधित खजाने में चालान भुगतान करने के पश्चात सी.एस.बी.सी.एल. से विदेशी मदिरा प्राप्त करता है। आगे, अनुज्ञप्तिधारी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के समक्ष चालान प्रस्तुत करने के पश्चात परमिट जारी करता है। परमिट में उल्लेखित मात्रा के अनुसार सी.एस.बी.सी.एल. मदिरा प्रदाय करता है। विभाग के अन्तर्गत ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिसमें परमिट में उल्लेखित मात्रा और सी.एस.बी.सी.एल. से वास्तविक उठाई गई मदिरा का पुनः सत्यापन किया जाए।

चयनित 11 में से 6[4] ईकाईयों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पंजी की जांच के दौरान हमने पाया कि 322 में से 15 खुदरा विदेशी मदिरा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 16.29 लाख प्रू.ली. भारत निर्मित विदेशी मदिरा और 6.99 लाख बल्क लीटर माल्ट शुल्क के भुगतान के पश्चात 2011-12 और 2013-14 में प्रदाय किया गया। आगे, सी.एस.बी.सी.एल. से प्राप्त जानकारी अनुसार पुनः सत्यापन करने पर पाया गया कि 2011-12 और 2013-14 के मध्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा ₹ 16.43 लाख प्रू.ली तथा माल्ट ₹ 7.20 लाख बल्क लीटर का उठान किया गया। अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा ₹ 0.14 लाख प्रू.ली. तथा ₹ 0.21 लाख बल्क लीटर माल्ट का अधिक उठान बिना शुल्क भुगतान के किया गया। तंत्र के अन्दर कोई प्रणाली नहीं था जिससे विभागीय आकड़ों का मिलान सी.एस.बी.सी.एल. के अभिलेखों द्वारा प्रदाय मात्रा से की जाए। लेन-देनों को सत्यापन/निगरानी करने में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी भी असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप शुल्क की अवसूली ₹ 15.42 लाख की हुई। (***परिशिष्ट 3.2***)

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि जि.आ.अ./स.आ.अ. को उनके द्वारा जारी परमिटों के पुनः सत्यापन के निर्देश दिए जा चुके है।

---

[4] स.आ.आ. बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, कोरबा, रायगढ़ और जि.आ.अ. बस्तर और सरगुजा।

हम अनुशंसा करते है कि शासन एक तंत्र विकसित करे जिसमें आसवनी/बाटलिंग ईकाई और सी.एस.बी.सी.एल. के साथ ही सी.एस.बी.सी.एल. और खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य लेन-देन के पुनः सत्यापन किया जा सके। त्वरित मिलान और परिशुद्धता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.2.10 न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक विक्रय की स्थिति में क्रेताओं से एकत्रित अनुज्ञप्ति फीस नहीं वसूलने से विक्रेताओं को अनुचित लाभ

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 2 (5) के अनुसार फुटकर बिक्री की दुकान से देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के अन्य विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि है। आगे, छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2002 (यथा समय समय पर संशोधित) के नियम 15 और 17 के अनुसार सचिव सह आयुक्त किसी ब्रांडवार विक्रय मूल्य और मास के लिए क्रमशः न्यूनतम निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा का उठान तय करता है।

नियम 16 वर्णित करता है कि देशी/विदेशी मदिरा शुल्क भुगतान करने के पश्चात वर्ष में दुकान के लिए निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मदिरा का उठान कर सकता है। देशी/विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मात्रा उठान करने पर अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति फीस वसूल करने हेतु कोई नियम नहीं बनाए गए है। इसके आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदाय की गई जानकारी अनुसार विक्रय दर में लैंडिग प्राइस, सी.एस.बी.सी.एल. का लाभांश, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस इत्यादि शामिल है।

न्यूनतम निर्धारित मात्रा के निर्धारण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच और चयनित 11 जिलों के देशी/विदेशी मदिरा के उठान में हमने पाया कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान सी.एस.बी.सी.एल. और सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के अभिलेख अनुसार 1177 से 1121 दुकानों द्वारा विदेशी मदिरा, विदेशी मदिरा माल्ट और देशी मदिरा क्रमशः 52.29 लाख प्रू.ली., 31.62 लाख ब.ली. और 102.21 लाख प्रू.ली. न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठाई गई। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिक उठाई गई मात्रा पर शुल्क का भुगतान किया गया, क्रेताओं से मदिरा विक्रय से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस की राशि जमा नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने अनुज्ञप्ति फीस वसूल कर जमा करने के नियम, जबकि विक्रय न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक होती है, नहीं बनाए है। अतः शासन राशि ₹ 178.41 करोड़ (***परिशिष्ट 3.3***) के राजस्व से वंचित रहा।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि अन्य राज्यों की नीतियों विश्लेषित की जावेगी और अगर जरूरी हुआ तो राज्य के आबकारी नीति में सुधार किया जावेगा।

हम अनुशंसा करते है कि शासन अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञप्तिधारी से एकत्र करने हेतु नियम लाए जहाँ विक्रय न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक होती है। शासन यह भी सुनिश्चित करें कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान क्रेताओं से एकत्र की गई अनुज्ञप्ति फीस की वसूली हो।

3.2.11 विभागीय प्रयोगशाला का आस्तित्व न होना

3.2.11.1 शासकीय प्रयोगशाला में अनाज के प्रकरण में विवरण योग्य शर्करा की जांच न होना

छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 का नियम 5(4) वर्णित करता है कि विभागीय प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर, आसवनी अधिकारी, अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा जो कि न्यूनतम विहित आधार पर आसवक द्वारा उत्पादित की जानी चाहिए। विहित न्यूनतम मात्रा से कम प्राप्ति होने की दशा में आसवनी अधिकारी आसवक का स्पष्टीकरण मांगेगा और अपने अभिमत के साथ संबंधित संभाग के उपायुक्त को भेजेगा। अगर आवश्यक हुआ तो उपायुक्त आबकारी आवश्यक जांच करेगी और जांच प्रतिवेदन को आबकारी आयुक्त को आगामी आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा।

दो आसवनियों (मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि. और मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.) के किण्वन एवं आसवन पंजी के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि आसवनियाँ अनाज अर्थात चावल से अल्कोहल का उत्पादन कर रही थी। दोनों आसवनियों ने 2009-10 से 2013-14 के मध्य 2,371 सेटअप में 1,194.02 लाख प्रू.ली. अल्कोहल का निर्माण किया। मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेण्ट प्रा.लि. और मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि. में सेटअप में किण्वण योग्य शर्करा की मात्रा 57.60 से 64.92 और 41.85 से 63.63 प्रतिशत क्रमशः रही, जो निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका -3.5

असवनी का नाम	वर्ष	उपयोगिता अनाज (क्विटंल में)	सेटअप की संख्या	किण्वण योग्य शर्करा का प्रतिशत	प्राप्ति (प्रू.ली.)
मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेण्ट प्रा.लि., मुंगेली	2009-10	1,93,995	265	57.60 से 62.60	1,13,28,276.30
	2010-11	3,44,805	430	61.46 से 62·44	2,02,53,197.00
	2011-12	3,53,295	429	61.70 से 64.62	2,13,82,042.70
	2012-13	3,41,400	418	62.48 से 64.86	2,07,49,769.80
	2013-14	3,94,633	530	63.09 से 64.92	2,41,11,820.00
		16,28,128	**2,072**		**9,78,25,105.80**
मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि., बिलासपुर	2009-10	91,090	100	49.28 से 60.45	50,40,855.80
	2010-11	53,140	43	57.25 से 60.76	31,44,840.90
	2011-12	93,220	65	41.85 से 61.49	54,67,700.70
	2012-13	70,330	46	57.51 से 63.63	40,78,395.10
	2013-14	71,729	45	53.39 से 61.00	38,45,607.70
		3,79,509	**299**		**2,15,77,400.20**
महायोग		**20,07,637**	**2,371**		**11,94,02,506**

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान कि किण्वण योग्य शर्करा की प्रतिशत बढ़ गई और यह मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि. बिलासपुर की तुलना में मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेण्ट प्रा.लि. मुंगेली में अधिक थी। यद्यपि दोनों आसवनियाँ अल्कोहल के निर्माण के लिए अनाज का उपयोग कर रही थी किण्वण योग्य शर्करा के प्रतिशत में काफी अन्तर (2013-14 में 53.39 और 63.09) था। विभागीय प्रयोगशाला के अभाव में, आसवक द्वारा प्रदाय की गई जानकारी विभाग मान रही थी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि शासकीय प्रयोगशाला के स्थापना प्रक्रियाधीन है।

3.2.11.2 देशी स्पिरिट नियम के प्रावधानों का पालन न होने से उपमानक स्तर का देशी स्पिरिट का प्रदाय होना।

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4 (1) निर्दिष्ट करता है कि देशी स्पिरिट अच्छी गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा ऐसे विनिर्देश की होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाए। आगे, वह रसायनिक विश्लेषण के अध्याधीन होगी और यदि वह मानवीय उपभोग के लिए उपमानक स्तर का या अनुपयुक्त पाया जाए, तो आबकारी आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश के अधीन उसे यथास्थिति पुनः आसवित किया जायेगा या प्रतिक्षेपित और नष्ट कर दिया जाएगा। आगे, छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 4 (3) प्रदाय करता है कि आसवनी में विनिर्मित स्पिरिट के प्रत्येक बैच के नमूनों का भी उसके प्रदाय करने के पूर्व प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाएगा। नमूने आसवनी के आसवनी अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन लिए जाएंगे।

26 भण्डागारों में से हमने 15 भण्डागारों की जांच की और पाया कि बिलासपुर भण्डागार के परमिट जारी पंजी में 9,047.25 प्रू.ली. देशी स्पिरिट माह जुलाई 2011 में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ₹ 4.89 लाख शुल्क भुगतान करने के पश्चात उठाई गई थी। जबकि, उपभोक्ताओं द्वारा उपमानक स्तर का होने की शिकायत करने पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा को भण्डारण अधिकारी को वापस किया गया। उपमानक स्पिरिट नमूनों की जांच (मार्च 2013) फॉरेनसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल) रायपुर में की गई और यह पाया गया कि वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त था। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आसवनी से भण्डारागार तक देशी मदिरा के प्रेषण के प्रकरण में रसायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः विभाग पूर्ण रूप से आसवक के निजी प्रयोगशाला द्वारा जारी रसायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन पर निर्भर था जिसके परिणाम स्वरूप उपमानक स्तर का मदिरा का उत्पादन और बाजार में प्रदाय किया गया। अन्य नमूना जांच भण्डागारों में इस तरह के प्रकरण नहीं पाए गए।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि आसवनी में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी से पूर्ण जानकारी मांगी गई है। तदनुसार जानकारी के आधार पर आसवक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। आगे, यह भी सूचित किया गया कि शासकीय प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

हम अनुशंसा करते है कि शासन जोखिम को दूर करने हेतु विभागीय प्रयोगशाला की स्थापना करें।

3.2.12 अधिष्ठापित क्षमता से अधिक अल्कोहल का उत्पादन

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, रायपुर के पत्र 2010,2012 और 2013 में मेसर्स रायपुर बांटलिंग कम्पनी, रायपुर की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की उत्पादन क्षमता अवधि 2011-12,2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 53.75 लाख, 45 लाख और 45 लाख लीटर प्रति स्वीकृत थी।

14 बाटलिंग इकाईयों में से हमने 6 ईकाईयों की जांच की और मेसर्स रायपुर बाटलिंग कम्पनी, रायपुर के किण्वण एवं आसवन पंजी तथा प्रोफार्मा 6[5] वार्षिक प्रतिवेदन में हमने पाया कि कम्पनी से 2011-12,2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत क्षमता 53.75 लाख, 45 लाख और 45 लाख लीटर प्रति वर्ष के विरूद्ध क्रमशः 66.63 लाख लीटर, 71.20 लाख लीटर और ₹ 80.08 लाख लीटर उत्पादन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी ने इन तीन वर्षो में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया। जबकि, विभाग और पर्यावरण बोर्ड दोनों ही बाटलिंग कम्पनी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का वास्तविक उत्पादन की गणना करने में असफल रहे। आगे, हमने पाया कि अन्य पांच बाटलिंग ईकाईयों में अधिष्ठापित क्षमता के अन्दर ही अल्कोहल का उत्पादन किया जा रहा था।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि शर्तो का उल्लंघन होने पर शास्ति के प्रावधानों को ज्ञात करने हेतु पर्यावरण बोर्ड को पत्र लिखा जा चुका है। सचिव ने सूचित किया कि बाटलिंग ईकाई में पदस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

3.2.13 भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात में निष्पादित बंध-पत्र का पंजीयन न होना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 12(4) प्रावधानित करता है कि निर्यातकर्त्ता निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा पर उदग्रहण योग्य विहित शुल्क जमा करेगा या उस रकम के बराबर राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा की बैंक गारंटी देगा या उस रकम के लिए समुचित शोधनक्षम प्रतिभूति के साथ बंध पत्र निष्पादित करेगा। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के धारा 33 और 35 सहपठित अनुसूची I-ए (15) प्रावधानित करता है कि प्रत्येक लोक अधिकारी सम्यक रूप से प्रकरणों को परिबद्ध करेगा (अधिसूचना क्रमांक 196-छः-एस.आर.-80 अमुद्रांकित दिनांक 20 मार्च 1980 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य से सभी शासकीय विभागों को लोकसेवा कार्यालय घोषित किया गया) बंध पत्र एक प्रभार्य लिखत है जिस पर मूल्य या राशि के चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

---

[5] आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन जिस पर मदिरा के उत्पादन का विवरण उल्लेखित है।

मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि., मुंगेली के बंध नस्ती एफ.एल.-23 के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि अवधि 2013-14 में विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु ₹ 10 करोड़ का बंध-पत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित की गई। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार, बंध पत्र को पंजीबद्ध करने हेतु मुद्रांक शुल्क ₹ 40 लाख और पंजीयन फीस ₹ 0.32 लाख आरोपित किया जाना था। जबकि, जिला आबकारी अधिकारी बंध-पत्र की पंजीबद्ध कराने में असफल रहें जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की वसूली ₹ 40.32 लाख नहीं हो सकी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि दस्तावेजों कों पंजीबद्ध करने हेतु आसवक को निर्देश जारी किए जा चुके है क्योंकि इससे शासन भी मुद्रांक शुल्क से लाभान्वित होगा।

3.2.14 विदेशी मदिरा का औसत शुल्क का गलत निर्धारण

''छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002'' के नियम 14(सी) के अनुसार विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा और शुल्क दर आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार, आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा का औसत शुल्क दर अवधि 2009-10 से 2012-13 तक के लिए ₹ 71.50 प्रति प्रू.ली. तथा वर्ष 2013-14 के ₹ 90 प्रति प्रू.ली. नीचे उल्लेखित हैः

तालिका -3.6

अवधि 2009-10 से 2012-13			
मदिरा का एक्स-फैक्ट्री दर (प्रति पेटी)	शुल्क दर (प्रति प्रू.ली.)	मदिरा का प्रस्तावित उठान (प्रतिशत में)	शुल्क (₹ रूपये में)
₹ 600 तक	₹ 70	95	66.50
₹ 600 से ₹ 900 तक	₹ 90	2.5	2.25
₹ 901 और उससे उपर	₹ 110	2.5	2.75
योग		**100**	**71.50**
अवधि 2013-14			
₹ 700 तक	₹ 85	81	68.85
₹ 701 से ₹ 1000 तक	₹ 100	9	9.00
₹ 1001से ₹ 1500 तक	₹ 115	7	8.05
₹ 1501 से ₹ 2000 तक	₹ 130	2	2.60
₹ 2001 एवं उससे उपर	₹ 150	1	1.50
योग		**100**	**90.00**

अवधि 2009-10 से 2013-14 के मध्य हमने विदेशी मदिरा का प्राइस रेंजवार उठान की जानकारी सी.एस.बी.सी.एल. से प्राप्त किया। सी.एस.बी.सी.एल. ने सिर्फ 2011-12 से 2013-14 की जानकारी प्रदाय की लेकिन साफ्टवेयर में तकनीकी कारणों से 2009-10 से 2010-11 की जानकारी प्रदाय करने में असफल रही।

सभी चयनित 11 सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पंजी के नमूना जांच के दौरान हमने अवधि 2009-10 से 2010-11 के लिए सहायक आयुक्त आबकारी कोरबा और राजनांदगांव से प्राइस रेंजवार विदेशी मदिरा उठान की जानकारी एकत्र की। अन्य सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी ने

जानकारी प्रदाय करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। तदनुसार, हमने इन दो कार्यालयों में पाया कि औसत शुल्क कोरबा और राजनांदगांव में क्रमशः ₹ 80.78 और ₹ 76.24 थी। इसी प्रकार, 2011-12 में यह क्रमशः 86.97 और ₹ 76.88 थी। आगे, चयनित सभी 11 जिलों में 2011-12 में 329 मदिरा दुकानों द्वारा ₹ 2.96 करोड़ प्रू.ली. मदिरा विक्रय पश्चात औसत शुल्क ₹ 82.9 थी। यद्यपि 2011-12 में औसत शुल्क ₹ 82.9 प्राप्त की गई थी, आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए औसत शुल्क ₹ 71.50 निर्धारित किया गया था। अतः पिछले वर्ष से प्राप्त औसत शुल्क को ध्यान में न रखते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा गलत औसत शुल्क निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप शुल्क राशि ₹ 27.77 करोड़ और अनुज्ञप्ति फीस ₹ 51.58 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमने यह भी पाया कि विभाग द्वारा 2013-14 और 2014-15 में औसत शुल्क क्रमशः ₹ 90 और ₹ 100 पुनरीक्षित किया गया। जबकि यह पिछले वर्षों के लिए ध्यान में नहीं रखा गया।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि 2013-14 से भारत निर्मित विदेशी मदिरा हेतु सही कदम उठा लिए गए है। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 2011-12 की आपत्ति पर कोई टीप नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते है कि शासन एक तंत्र की स्थापना करें जिससे पिछले वर्ष से प्राप्त औसत शुल्क के आधार पर औसत शुल्क की गणना की जावें।

अनुपालन कमियां

3.2.15 प्रक्रिया शुल्क की कम वसूली

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम छः नियम छः अनुसार मदिरा दुकानों के समूह के प्रति आवेदन पर 4,000 प्रक्रिया शुल्क देय है। प्रक्रिया शुल्क न तो अनुज्ञप्ति फीस में समाहित की जायेगी, न ही अनुज्ञप्ति न प्रदाय किये जाने की स्थिति में वापस होगी।

सहायक आबकारी आयुक्त, जांजगीर-चांपा की प्रक्रिया शुल्क नस्ती की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः 52,206; 68,384; 83,414 एवं 1,04,577 आवेदन मदिरा दुकानों के समूहो के अनुज्ञप्ति के आवंटन के लिए प्राप्त हुए थे। इसी के अनुसार विभाग को ₹ 20.88 करोड़, ₹ 27.35 करोड़, ₹ 33.37 करोड़ एवं ₹ 41.83 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे तथा उन्हें क्लियरिंग के लिए बैंक भेजा गया। मार्च 2014 के अंत तक प्रक्रिया शुल्क के ₹ 19.60 लाख, ₹ 49.60 लाख, ₹ 0.20 लाख एवं ₹ 1.76 लाख के बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा क्लीयर नहीं किये गये थे, इस कारण ₹ 71.16 लाख की प्रक्रिया शुल्क की कम वसूली हुई।

बर्हिगमन सम्मेलन (अगस्त 2014) के दौरान, शासन द्वारा कहा गया कि लेन-देन प्रक्रियाओं का सत्यापन कराया जायेगा एवं शासकीय कोष में राशि जमा कराने हेतु कदम उठाये जायेगे। सचिव ने विश्वास दिलाया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हम यह संस्तुति करते है कि शासन को बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन हेतु उचित प्रयास करने चाहिए ताकि शासकीय खाते में राजस्व उचित तरीके से जमा हो सके।

3.2.16 निर्यात की गई आई.एम.एफ.एल. की देरी से प्राप्त हुई सत्यापन प्रतिवेदन पर ड्यूटी की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 12 के अनुसार भारत से विदेशी मदिरा के निर्यात की अनुमति प्रदान की जा सकती है यदि ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया हो या बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी गई है। तदुपरांत, नियम 13 के अनुसार अनुज्ञापी द्वारा आयात करने वाली ईकाई से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी तथा प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो परमिट समाप्त होने के 21 दिन के अन्दर परमिट जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी ऐसा करने में असफल रहता है तो निर्यात की जाने वाली मदिरा पर लगने वाले ड्यूटी उससे वसूलनीय होगी।

प्रेषित माल रजिस्टर की जांच में हमने पाया कि मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेली द्वारा उनको जारी किये गये 129 परमिटों में 50 परमिटों पर जनवरी से फरवरी 2014 के दौरान ₹ 3.25 लाख प्रूफ लीटर का निर्यात किया गया, इसमें से 16 परमिट जिनमें 1,09,537.65 प्रूफ लीटर शामिल था, की लेखापरीक्षा अवधि (अप्रैल 2014) तक गतव्य इकाइयों से सत्यापन रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी। शेष 34 परमिटों में सत्यापन रिपोर्ट 21 दिन की तय समय सीमा के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ड्यूटी वसूलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण 16 प्रकरण जहाँ परमिट नहीं प्राप्त हुए थे (1,09,537,65 प्रूफ लीटर X 90 = 98,58,389) के आबकारी शुल्क राशि ₹ 98.58 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेप स्वीकार किया गया एवं जानकारी दी कि संबंधित सहायक आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्तों को नियम के प्रावधानों के पालन हेतु निर्देश दे दिए गये है।

3.2.17 आई.एम.एफ.एल. के निर्यात में बिना अनुमति हानि स्वीकार करना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 के अनुसार बोतलबंद विदेशी मदिरा के सभी निर्यात में अधिकतम 0.25 प्रतिशत की हानि की अनुमति है, चाहे दूरी कितनी भी हो। यदि हानि इस सीमा से अधिक होगी, तो अधिक हानि की ड्यूटी अनुज्ञापी से वसूलनीय होगी।

प्रेषित माल नस्ती की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेली द्वारा अगस्त 2011 से दिसम्बर 2013 के बीच 1,071 प्रकरणों में 470 प्रकरणों में आसवक द्वारा 30.26 लाख प्रूफ लीटर का निर्यात किया गया और 20,717 प्रूफ लीटर की हानि का जबकि 7,565 प्रूफ लीटर की हानि की अनुमत्य थी। तथापि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 0.25 प्रतिशत की हानि की सीमा को संज्ञान में लिए बिना 13,152 प्रूफ लीटर की हानि की अनुमति दी गई। इसके कारण ₹ 11.63 लाख की शुल्क वसूल नहीं हो पाई (**परिशिष्ट *3.5***)।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि प्रकरणों की जांच की जायेगी और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.2.18 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अविक्रित होने से शुल्क की अवसूली

आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार (फरवरी 2012) भारत निर्मित विदेशी मदिरा का 90 मिली की छोटी बोतल में बिक्री प्रतिबंधित है। तदुपरांत, यह भी निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2013) कि विदेशी मदिरा 9 एवं 9ए बोटलिंग ईकाईयों द्वारा समय समय पर 90 मिली की अविक्रीत बोतलों को एफ.एस.एल., रायपुर द्वारा स्वीकृत उपरांत 180 मि.ली, 375 मि.ली 750 मि.ली. की बोतलों में मानवीय खपत के लिए पुनः बोटलिंग किया जाये।

6 ईकाईयों में से 4[6] बोटलिंग ईकाईयों के स्पिरिट स्कंध पंजी की नमूना जांच पर हमने पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान 90 मि.ली. छोटे बोतलों की 70,879.5 प्रूफ लीटर मदिरा अविक्रीत रही। फरवरी 2012 के आयुक्त के निर्देश के विपरीत जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा एफ.एस.एल. से स्वीकृति उपरांत 180 मि.ली, 375 मि.ली एवं 750 मि.ली की बोतलों में पुनः बोटलिंग के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण ₹ 63.79 लाख के शुल्क की वसूली नहीं हो पायी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन (अगस्त 2014) द्वारा कहा गया कि 90 मि.ली बोतलों में बंद मदिरा की पुनः बोटलिंग का कार्य करेगे उनका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जायेगा ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।

3.2.19 बोटलिंग ईकाईयों में राजस्व ताला न प्रदाय किया जाना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 5(4) के अनुसार भण्डार आसव ऐसे कमरे या भवन में रखे जाने चाहिए जहाँ केवल एक द्वार हो। ऐसे कमरे या भवन को 'स्पिरिट रूम', 'गोदाम' की संज्ञा दी गई है और उसे राजस्व ताले की सुरक्षा में रखा जाना चाहिए (ये राजस्व टिकट होते है जिन्हें कमरे के सामान्य तालो पर चिपकाया जाता है)। नियम 7 (1) के अनुसार विदेशी मदिरा को बोटल में भरने की सभी क्रियाओं को आबकारी विभाग के प्रभारी अधिकारी के निरीक्षण में किया जाना चाहिए। बोतलबंद विदेशी मदिरा अलग कमरे में रखी जानी चाहिए जिन्हें बोतलबंद मदिरा का भण्डार कहा जायेगा और राजस्व ताले से सुरक्षित रखा जायेगा। बोटलिंग कमरे में बोटलिंग आसव रखे जायेंगे और उनमें निर्मित विदेशी मदिरा भंडारित की जायेगी। सभी स्पिरिट की सुरक्षा राजस्व ताले द्वारा की जानी चाहिए।

हमारे द्वारा रायपुर के 6 बोटलिंग ईकाईयों में से तीन[7] ईकाईयों की जाँच में पाया गया कि इन कंपनियों द्वारा बोटलिंग हाल, बोतलबंद मदिरा के भंडार, स्पिरिट रूम, मदिरा एकल कमरे के लिए राजस्व ताले के स्थान पर सामान्य ताले का प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण राजस्व हानि की पूर्ण संभावना है। तथा विभागीय व्यक्तियों के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्तियों को भी पहुंच हो सकती है।

---

6 मेसर्स एजिस बेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्डन प्रिन्स वाइन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रायपुर बोटलिंग कम्पनी और मेसर्स सर्वेश्वरी बोटलिंग और वेबरेज प्राइवेट लिमिटेड

7 मेसर्स क्राउन डिस्टलरीज लिमिटेड, मेसर्स रायपुर बोटलिंग कंपनी और मेसर्स सर्वेश्वरी बोटलिंग और बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि संबंधित ईकाईयों को राजस्व ताले जारी किये जायेगे।

3.2.20 जारी किये गये होलोग्राम की जानकारी न प्रदाय किया जाना

एफ.एल. 10 एवं देशी मदिरा 2डी अनुज्ञप्ति की शर्त 2 के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा के निर्माता को बोटलिंग ईकाई में निर्मित की गई प्रत्येक बोतल के ढक्कन पर होलोग्राम चिपकाना होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान डिस्टलरी एवं बोटलिंग ईकाईयो में उपयोग संबंधी जानकारी एकत्रित की। हमारे द्वारा (नवम्बर 2013) आबकारी आयुक्त द्वारा डिस्टलरी एवं बोटलिंग ईकाईयों को जारी किये गये होलोग्राम संबंधी जानकारी मांगी, किन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई। अतः उपरोक्त का प्रतिसत्यापन संभव नहीं हो पाया।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर द्वारा होलोग्राम की निगरानी की जायेगी।

3.2.21 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन में मौजूद एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकता है तथा समुचित कार्यवाही कर सुधारात्मक कार्यवाही कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली को अंगीकृत करता है, नियमों, मेन्युलों की समीक्षा करता है, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करता है तथा उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा 2005-06 से अस्तित्व में है। वित्त विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसमें पदस्थ किये जाते है तथा लिपिकीय स्टाफ विभाग के भीतर से ही पदस्थ किये जाते है। शाखा द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान किसी ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

3.2.21.1 आंतरिक लेखापरीक्षा में पदस्थ मानव संसाधन शक्ति

विभिन्न पद स्वीकृत एवं उनके विरूद्ध पदस्थ कर्मचारी (2009-10 से 2013-14) जिनको विभाग की इकाइयों की लेखापरीक्षा का कार्यभार दिया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है:

तालिका -3.7

वर्ष	स्वीकृत पद				कुल	पदस्थ कर्मचारी				कुल
	संयुक्त निदेशक (वित्त)	सहायक लेखाधिकारी	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3		संयुक्त निदेशक (वित्त)	सहायक लेखाधिकारी	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3	
2009-10	1	2	1	1	5	1	1	निरंक	1	3
2010-11	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	1	3
2011-12	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	1	3
2012-13	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	2	4
2013-14	1	2	1	2	6	1	1	निरंक	2	4

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षों में लेखाधिकारी एवं सहायक ग्रेड-2 की पदस्थापना में कमी रही है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभावी बनायी जायेगी।

शासन द्वारा समय-समय पर डिस्टलरी, बोटलिंग ईकाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्रावधान बनाने चाहिए।

3.2.21.2 संभाग स्तर पर उड़नदस्ता

उड़नदस्ता कार्यालयों की स्थापना 1 जुलाई 1999 में की गई थी। बस्तर, बिलासपुर एवं रायपुर में मंडल स्तर पर तीन उड़नदस्ते है। उपायुक्त उड़नदस्ते के प्रभारी होते है तथा एक सहायक आयुक्त, एक कार्यकारी अधिकारी एवं लिपिकीय स्टाफ उनकी सहायता के लिए पदस्थापित रहता है। उनके कार्य में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यो की जाँच करना, जिलों में पदस्थ फील्ड स्टाफ की जाँच करना तथा उनके क्षेत्राधिकार की डिस्टलरी तथा गोदामों तथा महत्वपूर्ण आबकारी केन्द्रों की जाँच करना होता है। उपायुक्त उड़न दस्ता, बस्तर, बिलासपुर एवं रायपुर से संबंधित लक्ष्यों की स्थिति तथा निरीक्षण की स्थिति इस प्रकार हैः

तालिका -3.8

मंडल का नाम	वर्ष	निरीक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध निरीक्षण	रजिस्टर्ड अपराधों की संख्या
बस्तर	09-10 से 13-14	614	390	573
बिलासपुर	09-10 से 13-14	720	1,520	1,472
रायपुर	09-10 से 13-14	289	164	2,696

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्तर एवं रायपुर में निरीक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके है तथा 36.5 प्रतिशत एवं 43.26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जबकि बिलासपुर मंडल द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उपायुक्त, बस्तर द्वारा जानकारी दी गई कि उपनिरीक्षकों की पदस्थापना न होने तथा नक्सलियों द्वारा समय-समय पर की गयी हड़ताल के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। तदुपरांत, उपायुक्त रायपुर द्वारा जानकारी दी गई कि

जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी सहायक आयुक्त की पदस्थापना न होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि लक्ष्य विभागीय मैनुअल के अनुसार तय किये गये है।

हमारे द्वारा संस्तुति की जाती है कि शासन द्वारा उड़न दस्तों को सशक्त बनाया जाये तथा लक्ष्य के अनुसार निर्धारित निरीक्षण पूर्ण किये जायें।

3.2.21.3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संधारण

विभाग को निम्न अभिलेखों/पंजी संधारित करते हैः

(i) डिस्टलरी में - कच्चे माल की प्राप्ति एवं उपयोग से संबंधित रजिस्टर (डी-5) डिस्टलिशन रजिस्टर (डी-9) स्प्रिट/इ.एन.ए का जारी करना।

(ii) बोटलिंग ईकाई में - प्रेषित माल रजिस्टर (डी-19), वैट रजिस्टर (डी-10), स्पिरिट खाता (डी-11), बोटलिंग रजिस्टर (डी-12), सीलबंद बोतलबंद मदिरा का जारी रजिस्टर (डी-17) आदि।

(iii) गोदाम में - प्रेषित माल रजिस्टर (डी-19), स्पिरिट खाता (डी-11), बोटलिंग रजिस्टर (डी-12), बोतलबंद मदिरा का जारी रजिस्टर (डी-17), मासिक स्पिरिट खाता (डी-23) आदि।

(iv) जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी - अनुज्ञापी रजिस्टर (जी-1), मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (जी-2), ड्यूटी और अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान हेतु चालान आदि।

नमूना लेखापरीक्षा में हमने पाया कि सभी लेखापरीक्षित ईकाईयों में रिकार्ड संधारित किये जा रहे एवं सभी लेन-देन उचित तरीके से दर्ज किये जा रहे है।

3.2.22 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा कई अनुपालन एवं प्रणाली की कमियाँ उजागर की गई जिसके कारण राजस्व हानि हुई जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित किया गया है और इस पर शासन/विभागीय स्तर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः

- सी.एस.बी.सी.एल. में डिस्टलरी/बोटलिंग ईकाईयों द्वारा भेजे जाने वाली विदेशी मदिरा की प्राप्ति का प्रतिसत्यापन का तंत्र अस्तित्व में न होना एवं इसी के साथ सी.एस.बी.सी.एल. द्वारा खुदरा विक्रेताओं को भेजी जाने वाली विदेशी मदिरा का प्रतिसत्यापन तंत्र अस्तित्व न होने से विदेशी मदिरा की कम प्राप्ति/अधिक भेजा जाना हुआ इसमें ड्यूटी की हानि हुई।
- विभाग के पास प्रक्रिया शुल्क की एवज में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण ड्राफ्ट शासकीय कोष में जमा नहीं हो पाए।

- मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिका 3.2 में इंगित किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा नमूना जाँच प्रयोगशाला नहीं स्थापित हो पाई जिसके कारण मिलावटी मदिरा की खपत की अत्यधिक संभावना है।
- यद्यपि शासन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित की गई है किन्तु शासन की राजस्व की सुरक्षा हेतु कोई भी डिस्टलरी, बोटलिंग ईकाई एवं अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने में विभाग असफल रहा है।